

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक—३५१० /FP/UK/VELEC/30487/2017:देहरादून:दिनांक: ७-५-२०१८

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय—२५ सुभाष रोड़,

देहरादून।

विषय:—जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला, ग्राम डामटी से थुनारा तक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु 2.15 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिंग को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

सन्दर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक ४८ी/यू०सी०पी०/०९/०२/२०१८/एफ०सी०/१८७६ दिनांक १३-०२-२०१७.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक १८६७/१२-१ दिनांक ०६-०३-२०१८ के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :—

- शर्त संख्या—१ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 4.30 है। ग्राम गमरी बंगाण सिविल सोयम भूमि पर क्षेत्रिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु देय धनराशि रु० 10,89,328.00 मात्र आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
- शर्त संख्या—२ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 14,12,550.00 आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
- शर्त संख्या—३ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जहां—जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। (संलग्नक—१)
- शर्त संख्या—४ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक—२)
- शर्त संख्या—५ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कुल जमा की गई धनराशि रु० 25,01,878.00 मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—३)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवद्वीय,

(अनूप मालिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या ३५१० / FP/UK/VELEC/30487/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- जिलाधिकारी, जनपद—उत्तरकाशी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
- अधिशासी अभियन्ता, (परियोजनायें) ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिंग, कांवली रोड, देहरादून।

(अनूप मालिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी